



2026:AHC:45659

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 3133

राहुल कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: श्याम सुंदर

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध थाना-खुरजा में मुकदमा अपराध संख्या 455 वर्ष 2023 (धारा 147, 148, 452, 323, 308, 504, 506, 354B, 392 भा.दं.सं. एवं 7/8 पोक्सो अधिनियम तथा धारा 3(2)(भ), 3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. अधिनियम) के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 5 कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति पाने का हकदार नहीं है।
3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को इस दावे पर विचार करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि इस मामले में याचिकाकर्ता का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तथापि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी (विभाग) स्वयं दस्तावेजों का सत्यापन और चरित्र सत्यापन करते हैं, और यदि प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, किसी अन्य दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

आशु

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।